भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3116

07 अगस्त, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

अमृत 2.0 का कार्यान्वयन

†3116. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूर्व चरण की तुलना में कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत परियोजना नियोजन, समय पर कार्यान्वयन और निधि के उपयोग में सुधार करने का प्रयास किया है और यदि हां, तो देश भर में अब तक प्राप्त की गई प्रगति के प्रमुख संकेतकों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमृत 2.0 में ओडिशा की भागीदारी, विशेषकर वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संदर्भ में सकारात्मक रही है और यदि हां, तो सरकार शहरी स्थानीय निकायों को क्षमता निर्माण और तकनीकी निष्पादन में किस प्रकार सहायता प्रदान कर रही है; और

(ग) क्या सरकार विशेषकर पाइप द्वारा जल पहुंचाने, जल निकासी और खुले सार्वजनिक स्थानों के संबंध में बलांगीर जैसे जिलों में अवसंरचना सुधार का समर्थन करने के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत अथवा अन्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से किन्हीं तंत्रों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के दिशा-निर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान दिया गया है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशा-निर्देशों के दायरे में गठित एक शीर्ष समिति समय-समय पर मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। साथ ही, अमृत 2.0 के

कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। प्रगति और परियोजना-वार परिणामों की निगरानी के लिए एक निर्दिष्ट अमृत 2.0 ऑनलाइन पोर्टल है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) की 1,94,172.99 करोड़ रु. की 8,873 परियोजनाओं हेतु राज्य जल कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना (14.07.2025 तक) के अनुसार, 1,08,244.60 करोड़ रु. की 6,131 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जा चुके हैं, जिनमें से 42,027.85 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं और अब तक 29,937.78 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है। परियोजनाओं की प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) अमृत 2.0 के अंतर्गत, 3,940.98 करोड़ रु. की 348 परियोजनाओं के लिए ओडिशा की राज्य जल कार्य योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अमृत 2.0 पोर्टल पर राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 3,034.64 करोड़ रु. की 323 परियोजनाओं के लिए ठेके दिए जा चुके हैं, जिनमें से 1,987.23 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं और अब तक 1,512.71 करोड़ रु. का व्यय हो चुका है।

अमृत 2.0 दिशा-निर्देशों में विभिन्न हितधारकों जैसे नगरपालिका अधिकारियों, ठेकेदारों, प्लंबरों, संयंत्र संचालकों, छात्रों, महिलाओं आदि के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। राज्यों द्वारा संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, मंत्रालय भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मास्टर योजना निरूपण, नल से जल (डीएफटी), जल ही अमृत, अमृत मित्र आदि के अंतर्गत राज्य/यूएलबी अधिकारियों और हितधारकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं भी आयोजित करता है।

(ग) अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिशन दिशा-निर्देशों के व्यापक ढांचे के अनुसार परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार दिया गया है। अमृत 2.0 के अंतर्गत, अब तक बलांगीर जिले में 348.76 करोड़ रु. की 20 जल आपूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिनमें 50,156 नए नल कनेक्शन/ मौजूदा नल कनेक्शन की सर्विस शामिल है।

*****

"अमृत 2.0 के कार्यान्वयन" के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3116 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अमृत 2.0 के अंतर्गत परियोजनाओं की राज्य-वार प्रगति

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजनाओं की संख्या, जिनके लिए ठेके दिए गए	भौतिक रूप से पूर्ण (करोड़ रुपए में)	कुल व्यय (करोड़ रुपये में) (14.07.2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	34.90	1	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	506	9514.63	247	638.84	513.15
3	अरुणाचल प्रदेश	19	185.02	15	5.93	0.66
4	असम	57	961.98	54	228.25	120.74
5	बिहार	64	8481.14			
6	चंडीगढ़	6	175.94	4	55.07	36.20
7	छत्तीसगढ़	76	3308.19	30	407.41	349.31
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	63.47	1	42.52	40.38
9	दिल्ली	94	5328.35	31	304.52	268.16
10	गोवा	24	173.42	22	82.48	62.19
11	गुजरात	927	16316.32	847	7292.23	5675.47
12	हरियाणा	77	3823.54	56	639.29	651.86
13	हिमाचल प्रदेश	49	321.66	47	130.91	109.43
14	जम्मू और कश्मीर	153	1665.11	81	39.32	11.02
15	झारखंड	113	4202.53	90	134.59	66.04
16	कर्नाटक	684	10274.13	199	2018.74	2212.54
17	केरल	737	3744.49	394	626.41	476.01
18	लद्दाख	7	908.90	-	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	1273	12963.14	999	1473.38	610.49
21	महाराष्ट्र	286	30505.50	216	7199.71	5005.56

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	परियोजना की कुल लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजनाओं की संख्या, जिनके लिए ठेके दिए गए	भौतिक रूप से पूर्ण (करोड़ रुपए में)	कुल व्यय (करोड़ रुपये में) (14.07.2025 तक)
22	मणिपुर	32	155.73	22	5.58	3.71
23	मेघालय	1	121.00	1	102.85	72.30
24	मिजोरम	106	157.78	20	53.91	28.58
25	नागालैंड	64	218.90	39	0.56	0.00
26	ओडिशा	348	3940.98	323	1987.23	1512.71
27	पुदुचेरी	19	189.68	12	111.30	79.91
28	पंजाब	211	3622.22	107	250.08	174.26
29	राजस्थान	321	10823.72	183	2613.92	2059.42
30	सिक्किम	8	49.41	8	21.39	4.02
31	तमिलनाडु	1270	14687.83	1261	7645.06	4264.19
32	तेलंगाना	252	9584.26	109	676.05	132.46
33	त्रिपुरा	18	191.53	18	125.99	108.41
34	उत्तर प्रदेश	655	26758.53	445	4710.54	3780.17
35	उत्तराखंड	29	712.16	16	79.78	61.34
36	पश्चिम बंगाल	385	10006.90	233	2324.01	1447.11
	कुल	8873	194172.99	6131	42027.85	29937.78

****